जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
107/2016
A3

अपील सूचना अधि. सं0 107/2016 अनवानी श्री सुखविन्दर सिंह, मै0 सरदार ट्रेडिंग कं0, 57 नई धानमण्डी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.10.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखविन्दर सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुखविन्दर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:—

> समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिनके आधार पर राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायत विशेष (Grievence ID 061427933264) पर दिनांक 06.05.2016 को निर्णय किया गया है।

उक्त सूचनांओ के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 राज.सम्पर्क/आरटीआई/2016/1426 दिनांक 08.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी श्री सुखविन्दर सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 061427933264 के संबंध में सूचना चाही गई है जो 5 पृष्टो में है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतू उसे प्रति पृष्ट 2 रूपये कुल 10 रूपये जमा करवाने के लिए पत्रांक राज0 सम्पर्क/आरटीआई/2016/1412 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा लिखा गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि जमा नही करवाई है। प्रार्थी उक्त निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है।

प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 राज0 सम्पर्क/आरटीआई/2016/1412 दिनांक 18.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:—

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज0 सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 061427933264 के संबंध में सूचना चाही गई है जो 5 पृष्टों में है। वांछित सूचना (प्रति पृष्ट 2 रू0) कुल 10 रूपये इस कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के 30 रूपये के पोस्टल ऑर्डर प्रेषित किये है जो समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा जमा कर लिये गये है। जबकि आवेदन पत्र शुल्क 10रूपये ही है शेष 20 रूपये की राशि में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली 5 पृष्टो की राशि 10 रूपये की राशि समायोजित करते हुए सूचना उपलब्ध करवाई जानी उचित प्रतीत होती है।

कलेक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
107/2016
P3/2

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की जमा शेष 20 रूपये की राशि में से 5 पृष्ठो की सूचना के लिए 10 रूपये की राशि का समायोजन करते हुए उक्त सूचना अपीलार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1876-77,
3-11-16

आदेश आज दिनांक 24.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर